दायर दिनांक :– 23.01.2018

अनवान

श्री नन्दा पिता भवाना मीणा नि. झीकली (धौड) तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 43, 88 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री दीपक कुमार पंचोली, वकील वादी

:: आदेश :: दिनांक 24.08.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम झीकली प. ह. धौड तह0 जहाजपुर की आ0 न0 61 रकबा 0.18 बीघा, आ.न. 62 रकबा 0.08 बीघा, आ.न. 64 रकबा 0.10 बीघा, आ.न. 70 रकबा 01.01 बीघा, आ.न. 228 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 229 रकबा 0.13 बीघा, आ.न. 237 रकबा 01.10 बीघा, आ.न. 249 रकबा 01.09 बीघा कुल किता 08 रकबा 06.16 बीघा कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख मे वादी खातेदार नन्दा पुत्र भवाना मीणा के नाम पर दर्ज दाखिल हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त कर लगातार अपने बाप दादा के समय से काश्त करता चला आ रहा हैं लेकिन राजस्व अभिलेखों मे मु. बी. क. छीतर वल्द मेदा मीणा का दाखिला राजस्व अभिलेखो मे राजस्व अधिकारियों की गलती से लिखा रह गया जिसे विलोपित कर वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एव न्यासंगत है। दिनांक 16.01.2017 को वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी के खाते व कब्जा काश्त है मे राजस्व अभिलेखो में मु. बी. क. छीतर वल्द मेदा मीणा दाखिला राजस्व अधिकारियों की गलती से लिखा रहा गया हैं को राजस्व अभिलेखो से विलोपित करने के लिये तहसीलदार जहाजपुर को अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया गया लेकिन बाद गुजरने अवधि तहसीलदार साहब जहाजपुर द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई इस हेतु वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी रहने के कारण यह वाद पत्र वादी को माननीय न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता हुई। वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि मे मु. बी. क. छीतर वल्द मेदा मीणा का दाखिला राजस्व अभिलेखों में राजस्व अधिकारियों की गलती से विलोपित होने से रह गया जिसे हटाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के प्रदान करने की मांग की।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की उपरोक्त उल्लेखित

सहायक कलक्टर जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:32:46 IST
Reason: SelfAttested

C:nirnay//rider

आराजी नम्बर नन्दा पित भवाना मीणा सा. देह मु. वि. क. छीतर वल्द मेदा मीणा सा. देह नाम दर्ज रेकार्ड है। मु. वि.क. छीतर वल्द मेदा सा. देह भू प्रबन्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2022 से 2041 से आज दिनांक तक दर्ज चला आ रहा है। मु. वि. क. छीतर वल्द मेदा मीणा की मृत्यु हो चुकी है, तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में इसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि वादी नन्दा पिता भवाना मीणा नि. झीकली का कब्जा काश्त है। मु. वि. क. छीतर वल्द मेदा मीणा व्यक्तिगत रहन भू प्रबन्ध कार्यवाहियों से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व का प्रतीत हो रहा है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (4) के अधीन हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि मे मु. बी. क. छीतर वल्द मेदा मीणा का दाखिला राजस्व अभिलेखों में राजस्व अधिकारियों की गलती से विलोपित होने से रह गया जिसे हटाया जाना फरमावे। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त वर्णित आराजियात वादी द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 1 के पति एव मु. वि. क. छीतर वल्द मेदा मीणा की मृत्यु हो चुकी है, तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में इसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है उक्त भूमि वादी नन्दा पिता भवाना मीणा नि. झीकली का कब्जा काश्त है। मु. वि. क छीतर वल्द मेदा मीणा व्यक्तिगत रहन भू प्रबन्ध कार्यवाहियों से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व का प्रतीत हो रहा है। जिसक ताईद पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट से होती है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (4) के अधीन हटाया जाना उचित प्रती होता है। जिसे वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जा है की ग्राम झीकली प. ह. धौड तह0 जहाजपुर की आ0 न0 61 रकबा 0.18 बी आ.न. 62 रकबा 0.08 बीघा, आ.न. 64 रकबा 0.10 बीघा, आ.न. 70 रकबा 01 बीघा, आ.न. 228 रकबा 0.07 बीघा, आ.न. 229 रकबा 0.13 बीघा, आ.न. 237 र 01.10 बीघा, आ.न. 249 रकबा 01.09 बीघा कुल किता 08 रकबा 06.16 बीघा म मु. बी. क. छीतर वल्द मेदा मीणा का दाखिला हटाया जाने का आदेश दिया है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:32:46 IST
Reason: SelfAttested